16750/20

Mob (3)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 339283

020232024549

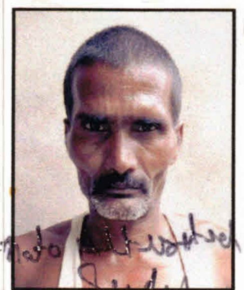

Photo Attested

Photo Attested

विक्रय मूल्य-6,00,000/-

मालियत-5,64,000/-

देय स्टाम्प-30,000/-

भूमि किस्म/दर ग्रामीण क्षेत्र 44,00,000/- प्रति हे0

मूल्यांकन सूची के अनुसार

विकेता अनुसूचित जाति का सदस्य हैं,

व क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है।

ग्राम की कोड संख्या :-0169

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1.भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.वार्ड/परगना	:	निंगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ।
3.मोहल्ला/ग्राम	:	जबरौली

नि० अ०

राम प्रसाद

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 339285

3

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
रामप्रसाद पुत्र नन्हकऊ निवासी ग्राम जबरौली परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ	आर्या विजन वेन्चर्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक अरूण पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय कार्यालय पता ग्राउण्ड फ्लोर वसन्त टावर आलमबाग, लखनऊ पिन कोड 226005
Adhar No. 7520 3120 5331 Mob. No.8172808080 पेशा-कृषि	Pan No.AAOCA7891E Adhar No.8624 4989 9331 Mob. No.8400607777 पेशा-व्यापार

चौहद्दी गाटा संख्या-2499 की :-

पूरब	:	गाटा संख्या-2500,2501,2502,2503
पश्चिम	:	गाटा संख्या-2524
उत्तर	:	गाटा संख्या-2498,2267,2268
दक्षिण	:	गाटा संख्या-2521

नि०अ०
राम प्रसाद

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 341741

4

विक्रय-पत्र

मैं कि **रामप्रसाद पुत्र नन्हकऊ निवासी ग्राम जबरौली परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ** का हूँ जो कि आराजी काश्तकारी खसरा/रकबा स्थित ग्राम **जबरौली** परगना **निंगोहां** तहसील **मोहनलालगंज** जनपद **लखनऊ** जो कि समस्त प्रकार के ऋण, भार व विवाद से पाक व साफ है। विक्रय शुदा भूमि पर कोई कुँआ, बोरिंग इत्यादि स्थित नहीं है व विक्रीत भूमि पेड़ स्थित है विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य हैं व क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं उक्त भूमि को बजरूरत खुद **मुबलिग 6,00,000/- रूपये (छः लाख रूपये)** जिसके आधे मु0-3,00,000/- **रूपये** होते हैं को

नि०अं०
राम प्रसाद

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 339284

4.सम्पत्ति का विवरण	:	खाता सं0-00850 की गाटा संख्या-2499 रकबा 0.506है0 में से रकबा 0.127है0
5. मापन की ईकाई	:	हेक्टेयर।
6. संपत्ति का क्षेत्रफल	:	रकबा 0.127है0 (शून्य दशमलव एक दो सात हेक्टेयर)
7.सड़क की स्थित	:	विक्रीत भूमि लखनऊ रायबरेली राजमार्ग से 01 कि0मी0 व रेलवे स्टेशन से 03 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित है।
8. प्रतिफल की धनराशि	:	6,00,000/-

नि॰ अं॰

राम प्रसाद

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 341742

5

बदस्त **आर्या विजन वेन्चर्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक अरूण पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय कार्यालय पता ग्राउण्ड फ्लोर वसन्त टावर आलमबाग, लखनऊ पिन कोड 226005** के हक में कुल जरसमन बजरिये चेक/आर.टी.जी. एस. द्वारा भुगतान किया गया जिसका विवरण आगे उल्लिखित है। क्रेता से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना हक क्रेता को अपने तुल्य करा दिया। क्रेता उक्त भूमि की दाखिल खारिज कागजात सरकारी में अपने नाम करवा लेवे। इसमें मुझको या मेरे वारिसान को कोई उज्र न है और न कभी भविष्य में होगी। विक्रीत भूमि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि है। जिसकी मालियत बहिसाब सर्किल रेट 44,00,000/-प्रति हे0 की दर से मुबलिग 5,59,000/- होती है व 1 पेड़ महुवा जिसका व्यास 20 से 30 सेमी0 जिसकी दर 4000/-रू0 व एक पेड़ यूकेलिप्टस 20 से 30 सेमी0 जिसकी दर 600/-रू0 कुल मलियत 5,63,600/-रू होती है चूंकि विक्रय पत्र में विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है इसलिए विक्रय मूल्य पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

नि0 अं0

राम प्रसाद

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 341743

DL 341743

1 9 OCT 2020

6

भुगतान का विवरण

चेक/आर.टी.जी.एस./नेफ्ट	धनराशि	दिनांक	बैंक/शाखा
127948	2,80,000/-	15.10.2016	एक्सिस बैंक शाखा आलमबाग लखनऊ
129718	25,000/-	05.10.2017	
020511827931	15,000/-	25.04.2018	आई.सी.आई.सी. आई. बैंक शाखा आलमबाग लखनऊ
8239109831	10,000/-	27.08.2018	
020777889051	10,000/-	25.10.2018	
021498588251	20,000/-	05.09.2019	
021710679281	10,000/-	09.11.2019	
022637184151	50,000/-	21.08.2020	
001010	1,80,000/-	22.10.2020	

नि०अ०
राम प्रकाश

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

1. विक्रीत भूमि की लगान मु0 12.50 पै0 प्रति बीघा है।
2. विक्रीत भूमि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि है।
3. विक्रीत भूमि जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग,राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि पर स्थित नहीं है।
4. विक्रीत भूमि को विक्रेता ने द्वारा वरासतन प्राप्त किया है।
5. विक्रीत भूमि न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर (पूर्वी) जनपद लखनऊ रामप्रसाद बनाम सरकार वाद सं0-डी202010460002385 अ0धारा-98 (1) उ0प्र0रा0सं0 2006 के आदेश दिनांक-25.08.2020 को विक्रय अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

विक्रीत भूमि का विवरण

गाटा संख्या रकबा	भूमि किस्म दर	मालियत
खाता सं0-00850 की गाटा संख्या-2499 रकबा 0.506हे0 में से रकबा 0.127हे०	**44,00,000/- प्रति हे0**	**5,64,000/-**

विक्रीत भूमि पर यदि क्रेता को कब्जा न मिले, विक्रीत भूमि यदि क्रेता के अधिकार क्षेत्र से निकल जावे या अन्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसकी कुल जिम्मेदारी हम मुकिरान की होगी, और क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल जरसमन मय हर्जा खर्चा की वसूली मेरी दीगर जायदाद से बजरिये अदालत करवा लेवे। यह विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा बताये गये तथ्यों व गवाहों की शिनाख्त पर टाईप व ड्राफ्ट किया गया है इसमें किसी भी विवाद की दशा में टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

अतएव यह विक्रय पत्र अपनी सभी इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में लिख दिया। कि यह एक सनद रहे और समय पर काम दे।

दिनांक- 21-10-2020

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाहान:-

1. दीपक पुत्र काली चरन
   निवासी ग्राम जबरौली
   तहसील मोहनलालगंज
   जिला लखनऊ
   पेशा-कृषि
   मो0-7678992059

दीपक

हस्ताक्षर क्रेता

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

Director

2. राजीव यादव राजीव यादव
   पुत्र मुकुन्द कुमार यादव
   निवासी- कीर्तीखेडा मजरा
   कनकहा तहसील मोहनलालगंज
   जिला लखनऊ
   पेशा-कृषि
   मो०-8299323637

टाईपकर्ता:

(ए0के0श्रीवास्तव)
तह0मोहनलालगंज,लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(सुरेन्द्र कुमार)
एडवोकेट
तह0मोहनलालगंज,लखनऊ।

आवेदन सं०: 202000822022697

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12028 के पृष्ठ 15 से 32 तक क्रमांक 16750 पर दिनाँक 23/10/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
23/10/2020

नजरी नक्शा भूमि विक्रीत की 200 मी0 की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का

उत्तर– गाटा संख्या–2498,2267,2268

पश्चिम गाटा संख्या–2524

गाटा संख्या–2499

पूरब गाटा संख्या–2500,2501,2502,2503

दक्षिण– गाटा संख्या–2521

विक्रेता का नाम– रामप्रसाद पुत्र नन्हकऊ निवासी ग्राम जबरौली परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ

क्षेत्रफलः– खाता सं0–00850 की गाटा संख्या–2499 रकबा 0.506हे0 में से रकबा 0.127हे0

भूमि स्थित– जबरौली परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

ह0 विक्रेता [thumbprint] नि0 अ0 राम प्रसाद

ह0 क्रेता

Aaryavision Ventures Pvt. Ltd.

[signature]

Director

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(सुरेन्द्र कुमार)

एडवोकेट,

मण्डलः- लखनऊ,जनपदः- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर,ट्रान्स गोमती
वाद संख्याः- 11205/2019
दीपक कुमार बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460011205
अंतर्गत धाराः- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथिः- 06/07/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन एवं श्रीमती तुलसा पत्नी स्व0 कालीचरन, निवासीगण ग्राम जबरौली, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि बीमारी के इलाज हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद संस्थित होकर इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज, लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 6,20,400/- होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 65,00,00 /- अंकित की गयी है। क्रेता द्वारा विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 65,00,00 /- विक्रेता को भुगतान किए जाने और विक्रेता द्वारा विक्रीत भूमि का रू0 65,00,00 /- प्रतिफल की धनराशि प्राप्त किए जाने की बात बयान में पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में भी यह अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि बीमारी के इलाज हेतु विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ की आख्या में की गयी है। इसके समर्थन में आवेदक द्वारा चिकित्सक का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र/आगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त विक्रय के पश्चात् रकबा 0.3795हे0 भूमि विक्रेता के पास शेष रह जायेगी।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 98(1)(ग)व उ0प्र0राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 99(8)(ख)(ड.) के अधीन श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन एवं श्रीमती तुलसा पत्नी स्व0 कालीचरन, निवासीगण ग्राम जबरौली, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम जबरौली परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 2519 रकबा 0.141हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति श्री अरूण पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय, निवासी 6बी/429, गोपेश कुंज वृन्दावन योजना-1, रायबरेली रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ङ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन एवं श्रीमती तुलसा पत्नी स्व0 कालीचरन, निवासीगण ग्राम जबरौली, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ / तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ/उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

6/7/19.

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

06.07.2019

आज दिनाँक 06.07.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

6/7/19

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

06.07.2019

आवेदक

प्रमाणित प्रतिलिपि

10/7/2019

अपर जिला मजिस्ट्रेट (ट्रा... गोमती)

लखनऊ